


कार्यालय शिक्षा निदेशक(मा0), उ0प्र0, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या नियुक्ति(1)मा0 / 134-207 / 2017-18, दिनांक 28 जून, 2017  
संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र  
संख्या-612/पन्द्रह-2-2017 दिनांक 14 जून, 2017 जो प्रदेश में संचालित राजकीय इंटर  
कालेज (बालक) में सह शिक्षा की व्यवस्था लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के  
सम्बन्ध में है कि छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि शासन के निर्देशानुसार  
आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उक्तवत्।

- 1-समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

  
28.6.17  
डा0 (ऋची गुप्ता)  
सहायक शिक्षा निदेशक(सेवा-1)  
शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0  
इलाहाबाद

प्रेषक

शत्रुन्जय कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

शिक्षा निदेशक, (मा0)  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-2

विषय:- प्रदेश में संचालित राजकीय इण्टर कालेज (बालक) में सह शिक्षा की व्यवस्था लागू किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना।

लखनऊ: दिनांक 14 जून, 2017

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सा0(1)शि0/1533/2017-18, दिनांक 17.05.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत वर्तमान सामाजिक परिवेश एवं परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त राजकीय इण्टर कालेज (बालक) में बालिकाओं के प्रवेश (सह शिक्षा) की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

संख्या व तददिनांक-

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0। (द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक)
3. गार्डफाइल।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।